



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04042020-219005
CG-DL-W-04042020-219005

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 22—मार्च—28, 2020, शनिवार/चैत्र 2—चैत्र 8, 1942
No. 12] NEW DELHI, MARCH 22—MARCH 28, 2020, SATURDAY/ CHAITRA 2—CHAITRA 8, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2020

का.आ. 375.—भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) अधिनियम, 2017 के नियम 5(1)(घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार प्रो. के. गणपति अय्यप्पा, प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान संस्थान, रसायन इंजीनियरी विभाग, बंगलोर, को भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम, के बोर्ड आफ गवर्नर्स में सदस्य के तौर पर दिनांक 02.03.2020 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. सीए-31037/8/2019-पीएनजी]

जे. सी. बाबू, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 5th March, 2020

S.O. 375.—In exercise of the powers conferred under Rule 5(1)(d) of the Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE) Act, 2017, the Central Government hereby appoints Prof. K. Ganapathy Ayappa, Professor, Department of Chemical Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore as a Member on the Board of Governors of Indian Institute of Petroleum and Energy, Visakhapatnam with effect from 02.03.2020 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. CA-31037/8/2019-PNG]

J.C. BABU, Dy. Secy.